IPC

لجنة التعريف بالإسلام

ISLAM PRESENTATION COMMITTEE

جمعية النجاة الخيرية

دولة الكويت

न्याय मंत्रालय

कुवैत में शादी

43 तथ्य अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करते हैं

कुवैती पर्सनल स्टेटस लॉ के तहत जीवनसाथी के अधिकार और कर्तव्य

1. पत्नी या वली (अभिभावक) की सहमति के बिना विवाह मान्य नहीं होगा।

2. बिना महर के शादी नहीं होगी।

3. एक लड़की की शादी तब तक पंजीकृत नहीं की जाएगी जब तक कि वह 15 वर्ष की न हो जाए, और लड़के की शादी तब तक पंजीकृत नहीं की जाएगी जब तक कि वह 17 वर्ष का न हो जाए।

4. अगर लड़की (निर्धारित) आयु से पहले (शादी के लिए) पहल करती है, तो उसे रोका नहीं जा सकता, उसका मामला जज के पास पेश किया जाएगा, और जज का फैसला अंतिम होगा कि शादी की अनुमति दी जाए या नहीं।

5. किफ़ाअत का अर्थ है समानता और बराबरी। अर्थात् विवाह के समय पुरुष महिला के लिए बराबर और हम-पल्ला हो। और क़ानून का मत यह है कि बराबर होने की कसौटी धार्मिक स्थिति का सही होना है।

6. पति पत्नी के बीच उम्र में एकरूपता केवल पत्नी का अधिकार है।

7. कुफू अर्थात् बराबरी न होने की स्थिति में पत्नी या उसके अभिभावक को विवाह अनुबंध को रद्द करने का अधिकार प्राप्त होगा।

8. गर्भावस्था होने, सहमति ज़ाहिर करने, या विवाह के एक वर्ष गुज़र जाने से, विवाह रद्द करने का अधिकार स्वयं समाप्त हो जाएगा।

9. यदि विवाह की पूर्णता के लिए ऐसी शर्त रखी गई हो जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो, तो ऐसी स्थिति में विवाह बातिल हो जाएगा।

10. विवाह अनुबंध में महर का सही निर्धारण आवश्यक है।

11. यदि महर का उल्लेख नहीं है, तो महर-ए-मिस्ल का भुगतान करना होगा (महर-ए-मिस्ल से अभिप्राय परिवार में उसी उम्र की अन्य महिलाओं का महर है)

12. विवाह के सही होते ही पत्नी महर की हकदार बन जाती है, और महर का यह अधिकार पत्नी से संबंध बना लेने या बंद कमरे में दोनों के एकांत में ठहरने से समाप्त नहीं होता है।

13. अगर संबंध बनाने या बंद कमरे में एकट्ठा होने से पहले पत्नी के कारण जुदाई हो रही हो, तो पूरा महर या गुज़र-बसर की सामग्री का हक़ जाता रहता है।

14. अगर संबंध बनाने या बंद कमरे में एकट्ठा होने से पहले पत्नी के अनुरोध के बिना पति की ओर से तलाक़ दी गई हो, तो पत्नी को महर का आधा हिस्सा देना आवश्यक होगा।

15. महिला के लिए गुजर बसर की सामग्री का भुगतान आवश्यक है जो न्यायाधीश द्वारा निर्धारित की जाएगी, जो कि महर-ए-मिस्ल की राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।

16. वैवाहिक जीवन बिताने के लिए जो घर लिया जाएगा उसके आवश्यक सामानों की सारी जिम्मेदारी पति की होगा।

17. सही विवाह के बाद ही पत्नी के लिए पति पर नफ़्क़ा (गुज़ारा भत्ता) अनिवार्य हो जाता है। नफ़्क़ा में प्रथानुसार खान-पान, कपड़े और चिकित्सा उपचार आदि शामिल हैं।

18. पति की आर्थिक स्थिति या देश की कीमतों में बदलाव के अनुपात से गुज़ारा भत्ता में वृद्धि या कमी की गुंजाइश है।

19. जिस दिन से पति पत्नी पर खर्च करना बंद कर दे, उसी दिन से पत्नी का गुज़ारा भत्ता पति पर क़र्ज़ समझा जाएगा, और इसे भुगतान या क्षमा के बिना रद्द नहीं किया जा सकता।

20. पति के लिए ज़रूरी है कि वह अपनी पत्नी को ऐसे घर में रखे जिसमें उसके जैसे परिवार के लोग रहते हों।

21. पति को अपनी पत्नी के साथ उसकी सौकन को या (सौकन से होने वाली) संतान को एक ही घर में रखने का अधिकार नहीं है।

22. पत्नी को अपने महरम के साथ हज की यात्रा करने का अधिकार प्राप्त है, भले ही पति अनुमति न दे, और निरंतर उसका गुज़ारा भत्ता जारी रहेगा।

23. पागलपन, दीवांगी, बेहोशी, ग़लती और भूल-चूक तथा क्रोध की स्थिति में दी गई तलाक़ मान्य नहीं होगी।

24. जिस महिला का विवाह बातिल हो, अथवा कोई महिला इद्दत गुज़ार रही हो, ऐसी महिला पर तलाक़ मान्य नहीं होगी।

25. तलाक उर्फ में स्पष्ट शब्दों द्वारा मान्य होती है, जैसे (तुम तलाकशुदा हो, तुम मुझ पर हराम हो)

26. पति अपनी पत्नी को तीन तलाक देने का अधिकार रखता है, लेकिन ये तलाक़ एक साथ नहीं दी जा सकती।

27. अगर तलाक़ नुक़सान पहुंचाने के लिए दी जा रही है, तो तलाक-ए-बाइन (जुदाई की तलाक़) मानी जाएगी।

28. यदि तलाक़ गुज़ारा भत्ता का भुगतान न करने के कारण दी जा रही है, तो तलाक-ए-रजई (वापसी का एख़्तियार रखने वाली तलाक़) समझी जाएगी।

29. अगर तलाक़ मतभेद के कारण हुई हो, तो तलाक-ए-रजई मानी जाएगी।

30. तलाक़-ए-बाइन दो प्रकार की होती है: -1बैनूना सुग़रा: जिसमें नई शादी और नए महर से वापसी की गुंजाइश होती है। -2बैनूना कुबराः जिसमें तलाक़ देने वाले के लिए अपनी तलाक़शुदा पत्नी को वापस करने की अनुमति नहीं होती। क्योंकि यह तीन तलाक़ के समान है, जिसमें तलाक़शुदा के लिए किसी और से शादी करनी आवश्यक है।

31. यदि पति अपनी पत्नी के गुज़ारा भत्ता का भुगतान करना बंद कर देता है, तो पत्नी को उस से तलाक़ लेने का अधिकार है।

32. यदि पति या पत्नी में से कोई एक अपने जीवन साथी को अपनी बात या अपने व्यवहार से नुकसान पहुंचाते हों, तो वे जुदा होने के लिए याचिका दायर कर सकते हैं, और नुकसान साबित होने के लिए दो पुरुषों या एक पुरुष और दो महिलाओं की गवाही आवश्यक है।

33. यदि पति बिना किसी उचित कारण के एक वर्ष या उससे अधिक समय तक अनुपस्थित रहा, तो पत्नी तलाक़ की मांग कर सकती है, उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति उन देशों में ला-पता हो गया जहां युद्ध होते रहते हैं या प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, तो 4 साल के बाद ऐसे व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया जाएगा, और वह अदालत के फैसले के बाद मृत माना जाएगा और फ़ैसला लागू होते ही उसकी पत्नी इद्दत गुज़ारना शुरू कर देगी।

34. अगर किसी पति को निश्चित फैसले द्वारा तीन साल या उससे अधिक की अवधि के लिए कैद किया जाता है, तो पत्नी एक साल के कारावास के बाद पति से तलाक़ की मांग कर सकती है।

35. यदि पति या पत्नी में से किसी एक को दूसरे में दोष मिलता है, तो वे अपने जीवन साथी की बात सुने बिना विवाह अनुबंध को रद्द करने के लिए आवेदन कर सकते हैं, चाहे दोष विवाह अनुबंध से पहले मौजूद रहा हो या बाद में उत्पन्न हुआ हो।

36. इद्दत के बीच पति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपनी बात से या अपने व्यवहार से रजअत (पत्नी को वापस) कर ले।

37. रजअत (पत्नी को वापस करना) गवाहों की गवाही या आधिकारिक घोषणा से साबित होती है, और इसे पत्नी के ज्ञान में भी लाया जाना आवश्यक है।

38. बच्चे के पितृत्व की निस्बत उसकी ओर होगी जो महिला का कानूनी पति है, चाहे विवाह सामान्य रूप में हुआ हो, या निकाह अमान्य तथा संदिग्ध हो। एक आदमी का हक़ बनता है कि वह बच्चे के जन्म के सातवें दिन तक या बच्चे के जन्म का इल्म होने के सातवें दिन के बीच बच्चे के वंश का इनकार कर दे, परन्तु वंश को साबित करने या नकारने का अंतिम अधिकार न्यायपालिका का होगा।

39. पालन-पोषण का अधिकार मां को है, फिर नानी को, फिर मौसी को, फिर माँ की मौसी आदि को। यदि पालन-पोषण का अधिकार रखने वाले सभी मामलों में समान हैं, तो न्यायाधीश उनमें से बच्चे के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का चयन करेगा।

40. लड़के के पालन-पोषण का अधिकार व्यस्क होने पर समाप्त हो जाता

है जबकि लड़की के पालन-पोषण का अधिकार उसके विवाह के साथ समाप्त होता है।

41. महिला के दूसरी शादी कर लेने और दूसरे पति के उसके जीवन में प्रवेश होने के कारण मां से पालन-पोषण का अधिकार समाप्त हो जाता है।

42. केवल माता-पिता और दादा-दादी को ही (तलाक़ के बाद बच्चों से) मिलने का अधिकार है।

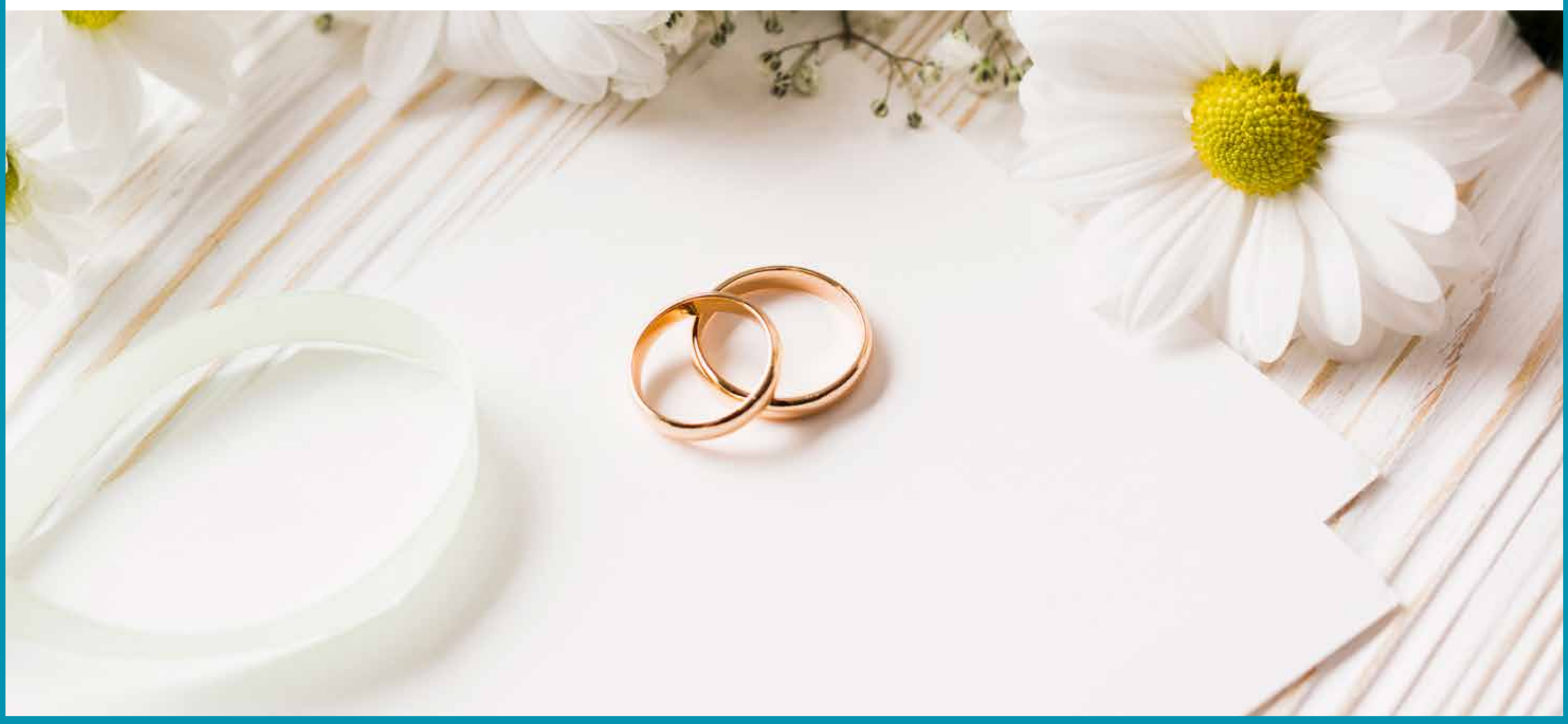

महत्वपूर्ण शर्तें

वली (अभिभावक): ऐसा व्यक्ति जो अदालतों के समक्ष एक नाबालिग या बेदखल व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है और पर्सनल लॉ के अनुसार सभी कानूनी कृत्यों और वित्तीय लेनदेन में उसकी ओर से कार्य करता है, जो आमतौर पर पिता होता है।

विवाह: पुरुष और महिला के बीच अच्छा संबंध रहने के लिए एक स्थायी सहमति और ठोस समझौता, जिसका लक्ष्य शुद्धता और पवित्रता की बहाली और पति पत्नी के संरक्षण में एक स्थिर परिवार की स्थापना है।

तलाक़: स्पष्ट शब्दों में विवाह अनुबंध समाप्त करना, या तलाक़ के इरादा से व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग करना।

तलाक़ के प्रकार: -1तलाक़-ए-रजई: जो इद्दत गुज़रने से पहले वैवाहिक संबंधों को समाप्त नहीं करती। -2 तलाक़-ए-बाइन: जो विवाह को तुरंत समाप्त कर देती है।

इद्दत: वह अवधि जिसमें एक महिला प्रतीक्षा करती है, इस अवधि में उसके लिए अपने पति की मृत्यु या तलाक़ के बाद शादी करने की अनुमति नहीं है।

इद्दत की अवधि: तलाकशुदा महिला के लिए तीन महीने और जिसके पति की मृत्यु हो गई हो उसके लिए चार महीने दस दिन हैं।

इबरा: अपना अधिकार या उसका कुछ भाग अपनी पसंद से छोड़ देना।

अज़्ल: अर्थात् अभिभावक का किसी महिला को समान और हम-पल्ला पुरुष से विवाह करने से रोकना, जबकि वह उससे विवाह की मांग कर रही हो।

नफ़्क़ा (गुज़ारा भत्ता):पति पर पत्नी का अनिवार्य अधिकार है कि वह अपनी पत्नी पर ख़र्च करे, गुज़ारा भत्ता में खान-पान, वस्त्र, चिकित्सा, आवास और एक सम्मानजनक जीवन बिताने के लिए आवश्यक चीजें शामिल हैं।

उर्फ़: वह चीज़ जिसकी सबको आदत हो, और सब उसे अपनाते हों। कोई काम जो सब के बीच सामान्य हो या कोई शब्द जिससे सभी परिचित हों।

विवाह की समाप्ति: उस रिश्ते को समाप्त करना जो दो साझेदार को अनुबंध का पाबंद करता है। अनुबंध में किसी दोष के कारण, या किसी आपात स्थिति के कारण जो अनुबंध को जारी रखने से रोकती और संबंध में बाधा डालती हो।

ख़ुला: पत्नी का अपने पति से विशिष्ट शब्दों के साथ अलग होना उस मुआवज़ा के बदले जिसे पति अपनी पत्नी या किसी दूसरे की ओर से प्राप्त करता है। और ख़ुला की स्थिति में दोबारा पति के लिए पत्नी की ओर वापसी (बिना विवाह किये) संभव नहीं है।

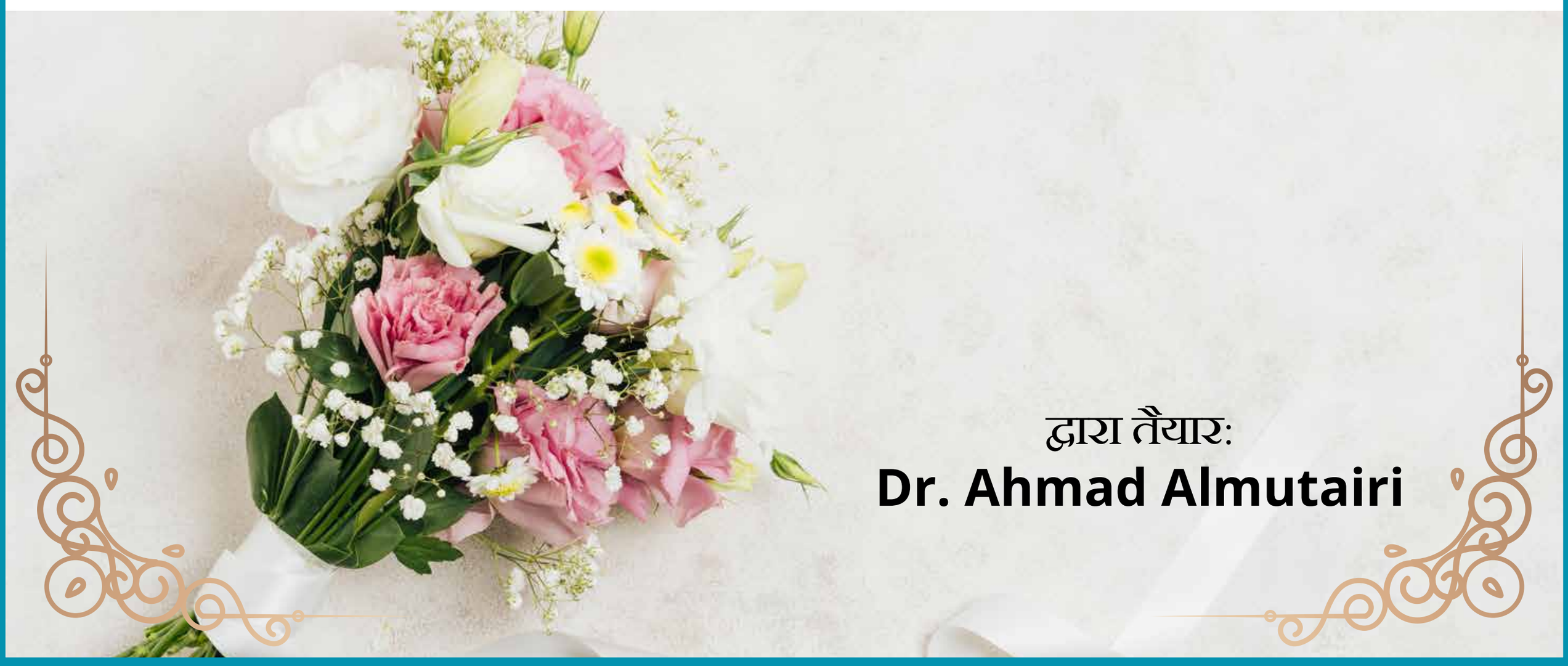

द्वारा तैयार:

Dr. Ahmad Almutairi